## सप्तदश

# बिहार विधान सभा 

## अष्टम सत्र

## अल्पसूचित प्रश्न

## वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि $\frac{11 \text { फाल्लुन, } 1944 \text { ( श० ) }}{2 \text { मार्च, } 2023 \text { (ई०) }}$
प्रश्नों की कुल संख्या 03
(1) कृषि विभाग - 01
(2) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग - - 01
(3) नगर बिकास एवं आवास विभाग - - 01

## अनुदान देना

12. शी संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)-स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 4 फरघरी, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "किसानों को कृषि यांत्रिकीकरण का लाभ दिलाने में 20 जिले पिछ्ड़े" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-
(1) क्या यह बात सही है कि कृषि याँंत्रिकीकरण योजना मद में राज्य के 20 जिले में 2022-23 में राशि की निकासी नहीं की गई है ;
(2) क्या यह बात सही है कि कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत 90 प्रकार की मशीनों पर सक्सिडी का प्रावधान रखा गया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 94.05 करोड़ रपये अनुदान की योजना है ;
(3) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर है लेकिन राशि की निकासी नहीं हुई है, जिससे किसानों को इस मद में अनुदान बाधित है ;
(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त राशि की निकासी कर किसानों को कुषि यंत्र पर अनुदान देने का विचार सखती है, नहीं, तो क्यों ?

आपूर्ति पर रोक लगाना
13. शी जय प्रकाश यादव (छेत्त संख्या-46 नरपतगंज)-क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--
(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज प्रखंड सहित राज्य भर में आँगनबाड़ी केन्द्रों, मिड-हे मील हेतु विद्यालयों एवं राशन कार्डधारियों को दिया जाने वाला पोषणयुक्त चावल में साइट्रिक एसिड की मात्रा एफ0एस०एस०ए 0 आई 0 के अनुसार मानक से काफी अधिक पाई गई है ;
(2) क्या यह बात सही है कि जिस साइट्रिक एसिड का उपयोग चावल को चसकदार बनाने में किया जाता है उस साइट्रिक एसिड का मानक से अधिक मात्रा में उपयोग किये जाने से उपभोक्ता को कई तरह की बीमारियों का खतरा बना रहता है ;
(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार साइट्रिक एसिड युक्त चावल की आपूतिं पर रोक लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## स्वीक्त कराना

14. शी विजय कमार सिन्हा (शेत्र संख्या-168 लखीसराय)-क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कुपा करेंगे कि-
(1) क्या यह बात सही है कि एक साल में पटना नगर निगम से वास्तुविद्ध, अभियंता, संरचना अभियंता, नगर निवेशक, पर्यवेक्षक, भवन निर्माण की वैधता नवीकरण व पंजीकरण नहीं होने के कारण नक्शा स्वीकृति का कार्य बंद है ;
(2) क्या यह बात सही है कि नक्शा स्वीकृति बंद रहने के कारण नगर निगम को हो रहे एखस्व क्षति के चलते मेयर ने नक्शा स्वीक्ति प्रक्रिया पुनः शुरू कराने हैतु सरकार से पत्र द्वारा अनुमति माँगी है ;
(3) यदि उपयुंक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना नगर निगम में नक्शा स्वीकुति कराने का कार्य पुनः शुरू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## पटना :

दिनांक 2 मार्च, 2023 (ई०) ।

पवन कुमार पाण्डेय, प्रभारी सचिव, बिछार विधान सभा, पटना ।

